खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

ा : 454 / 2016

1. भंवर सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति राजपूत निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह जाति राजपूत निवासी बोहत तहसील मांगरोल

.... वादीगण

♠ बनाम ♠

1. जसवंत सिंह पुत्र शार्दुलसिंह जाति राजपूत निवासी बोहत तहसील मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर0टी0एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)

वकील वादी : श्री रामस्वरूप नागर

निर्णय दिनांक : 11.09.2017

दायरा दिनांक: 29.12.2016

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोहत तहसील मांगरोल की आराजी जमाबंदी संम्वत 2069–2072 खाता संख्या नया 244 पुराना 292 की आराजी खसरा नं0 3059 रकबा 3.75 है0 लगानी 120 रू0, खसरा नं0 3060 रकबा 4.14 है0 लगानी 132.48 रू0, खसरा नं0 3061 / 3169 रकबा 0.18 है0 लगानी 5.76 रू0, खसरा नं0 3064 / 3170 रकबा 0.17 है0 लगानी 5.44 रू0 कुल किता 4 कुल रकबा 8.24 है0 कुल लगानी 263.68 रू0 स्थित है। इसी प्रकार ग्राम बोहत तहसील मांगरोल की आराजी जमाबंदी संख्या नया 245 पुराना 235 सम्वत 2069–2072 की आराजी खसरा नं0 2552 रकबा 1.42 है0 लगानी 5.68 रू0 स्थित है। जिसे आगे विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त आराजी जसवन्त सिंह पुत्र शार्दुल सिंह के पिता अर्जुन सिंह की खातेदारी से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी कम 1 जसवन्त सिंह को अपने पिता शार्दुलसिंह से विरासत में प्राप्त होने के कारण उक्त आराजियात में वादीगण के जन्म से ही अधिकार नियत होने के कारण उक्त आराजियात में अपना हिस्सा 1 / 3–1 / 3 हिस्से के रूप में राजस्व रेकार्ड में खातेदार घोषित कराकर अपना नाम अंकन कराने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी एवं नालिशी है। अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिकी पारित की जावे कि ग्राम बोहत की आराजी खसरा नं0 2552 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 3059 रकबा 3.75 है0, खसरा नं0 3060 रकबा 4.14 है0, खसरा नं0 3061 / 3169 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

0.17 है0 में वादीकम 1 का 1/3 हिस्सा वादीकम 2 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी 1/3 हिस्सा खाता पृथक से दर्ज किया जावे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान प्रतिवादी कम सं0 1 जसवन्त सिंह ने वाद के सभी पैरो को स्वीकार किया तथा जवाब पेश नही करने की इस्तदुआ की जो स्वीकार की गई। चूंकी वादी के वाद के सभी पैरो में दिये गये विवरण को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण वाद में तनकीयात कायम नही कर वाद में वकील वादी द्वारा प्रकरण में अंन्तिम बहस सुनी गई। वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0 1 के एक पुत्री है जिसका विवरण वाद के पैरा संख्या 3 में दिया गया है। पुत्री भंवरबाई पत्नी मनमोहन सिंह के हिस्से को उसकी शादी के समय नगद रूपसे अदा कर दिये जाने से भंवरबाई के कोई हक–हकूक शेष नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रेकार्ड का परिक्षण किया गया। प्रतिवादी कम 2 भूमिधारी तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया। सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त में इस निर्णय पर पहुचा हूं कि प्रतिवादी कम 1 जसवंत सिंह के दो पुत्रो के अतिरिक्त एक पुत्री भंवर बाई पत्नि मनमोहन सिंह जाति राजपूत निवासी शंकरपुरा हाल निवासी रिद्धीका नगर बारां भी है, जिसको वाद पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है, जबकी नियमो में पुत्री को भी पिता की सम्पत्ति में पुत्रो के समान बराबर हिस्सेदार माना गया है। अतः पुत्री को पक्षकार नही बनाने एवं केवल शादी के समय दहेज इत्यादि के रूप में नगद राशी दे दिये जाने के कारण पुत्री के पैतृक हक को समाप्त नही किया जा सकता है। अतः वादपत्र त्रुटीपूर्ण एवं पुत्री का हक मारने की नियत से प्रस्तुत होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2017 को सरेईजलास सुनाया गया ।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल